

यूको बैंक



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

**ई-नीलामी
बिक्री सूचना**

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि और समय: 28.10.2026 और 26.11.2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच (10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ) नीलामी का समय समाप्त होने से पहले, बोली लगाने से पहले ईएमडी जमा करना और उसे संपत्ति आईडी से लिंक/मैप करना अनिवार्य है।

यूको बैंक की संबंधित शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों ने एसएआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों में निम्नलिखित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें 'जैसा है जहां है' और 'जैसा है वैसा ही' के आधार पर बेचने का अधिकार रखते हैं। (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत 'जो भी आधार हो' और 'बिना किसी सहारा के आधार' के आधार पर बैंक के बकाया की वसूली उक्त संपत्तियों की बिक्री द्वारा करने का प्रस्ताव है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	शाखा/ उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	सांकेतिक/भौतिक कब्जे की तिथि संबंधित अधिकारियों का विवरण	25% जमा खाता संख्या और IFSC कोड	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख और समय
1	शाखा कार्यालय : अर्की						
1. मैसर्स आशा ट्रेड्स		वह प्रॉपर्टी जो ज़मीन है (128.00 वर्ग मीटर का 1/12वां हिस्सा), खाता/खतौनी नंबर 76/176 से 177, कित्ता 4 और दो मंजिला इमारत; यह प्रॉपर्टी गाँव पुलहर, पोस्ट ऑफिस कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन में स्थित है।	24.06.2026 रूपए 90,20,312.73 साथ में आगे का ब्याज और अन्य खर्च वगैरह।	29.08.2026/ सांकेतिक अधिकृत अधिकारी: श्री निशांत सिंह चौहान मोबाइल: 9680165550, शाखा प्रबंधक: श्री अमन वर्मा, मोबाइल: 919882471579, ई-मेल: arki@uco.bank.in	खाता संख्या: 03921030080161, आईएफसी कोड: UCBA 0000392, NEFT खाते का नाम: यूको बैंक अर्की	रूपए 44,64,000/- रूपए 4,46,400/- रूपए 25,000/- (हर बार 10 मिनट के अनलिमिटेड ऑटो-एक्सटेंशन के साथ)	28.10.2026 11.00 प्रातः से 05.00 बजे
2	शाखा कार्यालय : रैंका						
श्री पूरन चंद सुपुत्र श्री दया राम		भूमि माप 0-01-68 हेक्टेयर और खाता खतौनी संख्या 69/101	14.02.2026 रूपए 25,51,292.43 साथ ही अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च आदि।	06.05.2026/ सांकेतिक अधिकृत अधिकारी: श्री सनोज कुमार सिंह मोबाइल: 9583335083, शाखा प्रबंधक: श्री राज कुमार शर्मा, मोबाइल: 9147404243, ईमेल: rainka@uco.bank.in	खाता संख्या: 04231030080161, आईएफसी कोड: UCBA 0000423, NEFT खाते का नाम: यूको बैंक रैंका	रूपए 24,78,600/- रूपए 2,47,360/- रूपए 25,000/- (हर बार 10 मिनट के अनलिमिटेड ऑटो-एक्सटेंशन के साथ)	26.11.2026 11.00 प्रातः से 05.00 बजे

ई-नीलामी की शर्तें और नियम: 1. बोलियाँ केवल निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन ही जमा की जानी चाहिए। ऑनलाइन बोलियाँ <https://baanknet.com> पर जाकर जमा की जा सकती हैं। 2. बोलियों के साथ पहचान पत्र को एक प्रति संलग्न होनी चाहिए। मांग जाने पर मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3. न्यूनतम मूल्य/आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी के रूप में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित खाता विवरण में जमा किया जाना चाहिए या ईएमडी को बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित वेबसाइट पर जाकर नीलामी प्रदाता के ई-चॉल में भी जमा किया जा सकता है। एकमात्र बोलीदाता के मामले में, उद्धृत बोली राशि आरक्षित मूल्य से एक बोली अधिक होनी चाहिए। अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी एक या अधिक बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। 4. अचल संपत्ति को बिक्री होने पर, सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से ऊपर उल्लिखित प्रत्येक खाते के सामने बैंक खाते में बिक्री आयोजित करने वाले अधिकृत अधिकारी को तुरंत जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर बचत राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को तुरंत दोबारा बेचा जाएगा। 5. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर शेष बोली राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, ऑनलाइन पारस्परिक बोली के नियम और शर्तें आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट <https://baanknet.com> पर जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 918291220220 और हेल्पलाइन ईमेल आईडी: support.baanknet@psballyance.com पर संपर्क कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी या शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। अधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक/प्रबंधकों का विवरण ऊपर प्रत्येक खाते के सामने दिया गया है। यदि उधारकर्ता अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता(कों) को बिक्री पुष्टिकरण पत्र जारी करने से पहले बैंक को सविदात्मक देय राशि और अन्य खर्चों का भुगतान कर देता है, तो बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी। ऐसे मामले में, बैंक सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर देगा। 7. सरकार/स्थानीय निकाय को देय वैधानिक शुल्क/देयताएँ आदि, यदि कोई हों, तो सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन की जाएगी। यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो सफल बोलीदाता को 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता को वेबसाइट <https://baanknet.com> देखें या संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को वेबसाइट पर दी गई बिक्री की सभी शर्तों को पढ़ा और समझा हुआ माना जाएगा और वे सभी शर्तों से बाध्य होंगे। नीलामी बिक्री सुरक्षित ऋणदाता बैंक की पुष्टि के अधीन है। संपत्ति के विवरण, दस्तावेजों के सत्यापन और/या बिक्री के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए, कार्यालय समय के दौरान ऊपर उल्लिखित संबंधित शाखा प्रबंधकों से संपर्क किया जा सकता है। 8. संपत्ति 'जैसी है, जहाँ है और जो है जहाँ है' के आधार पर बेची जाएगी और इच्छुक बोलीदाता को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण से संपत्ति के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, क्षेत्रफल, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, उस पर लगे शुल्क, भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दाय्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरगंसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे बिक्री की पुष्टि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि, अद्यतन ब्याज और अन्य खर्चों सहित, का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 06.10.2026

अधिकृत अधिकारी